न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या - 37/24 GCMS NO 2024/147

1. जगदीश पुत्र कारू गुर्जर
2. धापा पत्नि कारू गुर्जर
3. रमेश पुत्र कारू गुर्जर जातियान गुर्जर निवासीयान चूली तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. करण पुत्र बंशी गुर्जर निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर
2. जगदीश पुत्र बंशी निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर(मृतक)

2/1. कमली पत्नि स्व0जगदीश गुर्जर

2/2. काडू पुत्र स्व0जगदीश गुर्जर

2/3. रामकेश पुत्र स्व0जगदीश गुर्जर निवासीयान चूली तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

2/4. पुष्पा पुत्री स्व0जगदीश गुर्जर निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर हाल निवासी मकसूदनपुरा तहसील मलारना डूँगर जिला सवाई माधोपुर

3. तहसीलदार गंगापुर सिटी

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 68/20 निर्णय दिनांक 24.6.24 न्यायालय उपजिला कलक्टर, गंगापुर सिटी)

अभिभाषक अपीला0 श्री वृद्विचंद शर्मा

अभिभाषक रैस्पो0 श्री रामदयाल त्रिवेदी

दिनांक 16.1.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 24.6.24 न्यायालय उपजिला कलक्टर, गंगापुर सिटी पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण/अपीलांटान ने एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण के बाबा फूल्या पुत्र गोविन्दा गुर्जर की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि एकीकरण पूर्व साबिक ख0न0 675 रकबा 2 बीघा 15 विस्व ग्राम चूली मे स्थित है। जिसके भू प्रबंध विभाग ने ख0न0 1401 व 1401/2164 कायम किये है। भू प्रबंध विभाग ने ख0न0 1401 का रकबा 0.60 है0 राजस्व रिकार्ड मे अंकिश दर्शाया है जबकि यह [illegible] 68 एयर [illegible] उक्त नम्बरो मे से ख0न0 1401 की खातेदारी प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड [illegible] जगदीश व भाई रमेश दोनो के पिता कारू गुर्जर [illegible] स्व0कारू फूल्या [illegible] गोविन्दा का पुत्र है। कारू के नाम [illegible] की मृत्यु के पश्चात नामा0 संख्या [illegible] दिनांक 18.4.71 को आ गई। कारू की मृत्यु के बाद उक्त भूमि प्रार्थीगण जगदीश, [illegible]

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:14:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

श्रीमती धापा के नाम आ गई। इस प्रकार पुश्तैनी साबिक ख0न0 675 को हम बुजुर्गो के समय से ही काबिज करकर काश्त करते चले आ रहे है। स्व0फूल्या व कारू के हम प्रार्थीगण वारिसान है इसलिए उक्त भूमि से किसी अन्य और कोई का संबंध वास्ता नही है। उक्त भूमि का नवीन ख0न0 1401 रकबा 60 ऐयर व ख0न0 1401/2164 रकबा 16 ऐयर भूमि प्रार्थीगण की है। अप्रार्थी करण,जगदीश पुत्रान बंशी का ख0न0 1401/2164 रकबा 16 ऐयर मे से 8 ऐयर भूमि से किसी प्रकार का कोई वास्ता नही है। भू प्रबंध विभाग व राजस्व कर्मचारियो की लिपिकीय त्रुटी से प्रार्थी संख्या 1 व 2 से साज कर कानून का दुरूपयोग कर राजस्व नियमो के विपरीत हम प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि को राजस्व रिकार्ड मे अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम गलत रूप से दर्ज कर दी। इस गलत इन्द्राज को दुरूस्त किया जाना अति आवश्यक है। पुराने दस्तावेजात से मिलान किया जावे तो यह भूमि हम प्रार्थीगण की खोतेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात है। इसलिए प्रार्थीगण को राजस्व रिकार्ड मे अंकित ख0न0 1401/2164 के रकबा 0.16 है0 की भूमि मे 8 ऐयर भूमि का खातेदार दुरूस्त कर प्रार्थीगण को 68 ऐयर भूमि का खातेदार घोषित किया जाना आवश्यक है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के खेत आराजी ख0न0 1401/2164 की आराजीयात के रकबा 8 ऐयर भूमि मे खडी फसल का उजाडने की धमकी दी गई। इस कारण अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। अतः अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे कि वे प्रार्थीगण की आराजीयात ख0न0 1401 रकबा 0.60 ऐयर व 1401/2164 रकबा 16 ऐयर मे से 8 ऐयर कुल रकबा 68 ऐयर स्थित ग्राम चूली के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग मे व्यवधान उत्पन्न नही करे तथा भूमि को रहन बय मुन्तिकिल नही करे। मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से अपीलांट/प्रार्थीगण द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यो का भली भांति अवलोकन नही किया है। इस कारण निर्णय निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो पर गौर नही किया कि आराजी पूर्व साबिक ख0न0 675 रकबा 2 बीघा 15 विस्वा ग्राम चूली मे स्थित है जिसके नवीन [illegible] 1401 [illegible]/2164 सेटलमेंट विभाग ने कायम किये है। भू प्रबंध विभाग ने ख0न0 1401 रकबा 0.6[illegible] [illegible] यह रकबा 0.68 ऐयर होता है। उक्त नम्बरो मे से ख0[illegible] प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड मे अंकित की गई है। यह भूमि पुश्तैनी है। क्योकि प्रार्थी के पिता व पति कारू व उसके पिता स्व0फूल्या की आराजीयात रही है। फूल्या की मृत्यु के पश्चात आराजी प्रार्थीगण/अपीलांट

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:14:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

के पिता व पति कारू के नाम आई जिसका नामा0 संख्या 157 दिनांक 18.4.71 को तस्दीक होकर आराजी राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हुई। कारू की मृत्यु के पश्चात आराजी हम प्रार्थीगण की खातेदारी मे दर्ज हुई है। इस प्रकार आराजीयात पुश्तैनी है। जिस पर बुर्जुगान के समय से ही काबिज काश्त करते चले आ रहे है। स्व0फूल्या व स्व0कारू के हम प्रार्थीगण/अपीलांट वारियान है इसलिए हमारे अलावा अन्य किसी का इस भूमि से कोई संबंध वास्ता नही है। उक्त भूमि का नवीन ख0न0 1401 रकबा 0.60 ऐयर व ख0न0 1401/2164 रकबा 16 ऐयर मे से 8 ऐयर भूमि प्रार्थीगण के साबिक ख0न0 675 की है यानि 68 ऐयर भूमि प्रार्थीगण/अपीलांट की है। इस तथ्य पर अधिनस्थ न्यायालय ने गौर नही किया है। इस कारण अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है। राजस्व अधिकारियो की त्रुटि से एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 से साज कर ख0न0 1401/2164 रकबा 16 ऐयर भूमि मे से 8 ऐयर भूमि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने अपने नाम राजस्व रिकार्ड मे गलत रूप से दर्ज करा ली गई है। जबकि अप्रार्थीगण का इस भूमि से कोई संबंध वास्ता नही है। यह आराजीयात हमारी कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजीयात है। इस तथ्य पर अधिनस्थ न्यायालय ने गौर नही किया है। प्रार्थीगण/अपीलांट की खातेदारी की आराजीयात होते हुए भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही कर कानूनी भूल की है। इस प्रकार अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाकर अप्रार्थीगण को दावे के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि भूमि साबिक ख0न0 675 रकबा 2 बीघा 15 विस्वा के नवीन नम्बर 1401 रकबा 0.60 है0 एवं 1401/2164 रकबा 16 ऐयर मे से 8 ऐयर कुल रकबा 68 ऐयर स्थित ग्राम चूली के कब्जे काश्त मे व उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे ना ही अन्य किसी से करावे तथा भूमि के मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखी जाकर रहन बेचान मुन्तकिल नही करे।

रेस्पो0 ने अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस कथन किया कि भूमि ख0न0 675 का रकबा 2 बीघा 15 विस्वा नही है बल्कि मुताबिक मिलान क्षेत्रफल साबिक ख0न0 675 का रकबा 2 बीघा 2 विस्वा है। जिसका नवीन नम्बर 1401 रकबा 0.60 है0 बनाया है। जबकि दशमलव प्रणाली से रकबा साढे बाबन ऐयर होता है जबकि अपीलांट के खाते मे ख0न0 1401 का रकबा 0.60 है0 आया है जो साबिक के मुकाबले साढे सात ऐयर ज्यादा है। जब रकबा ज्यादा मिल चुका है तो वह 0.68 है0 रकबा गलत होना बता रहा है। ख0न0 1401/2164 रकबा 0.16 है0 रकबे पर रेस्पो0 बजमाने बुर्जगान काबिज चले आ रहे है। भू प्रबंध विभाग ने इस भूमि की पासबुक छोटी बेवा सुखपाल को सम्वत 2039 मे ही दे दी थी। मु0छोटी के पति सुखपाल थे। छोटी ने पुनः विवाह बंशी से कर लिया, बाद मे रेस्पो0 उक्त छोटी से बंशी के नुफते से पैदा हुए। इस कारण यह भूमि रेस्पो0 के कब्जे काश्त मे है। छोटी मर चुकी है। ख0न0 1401/2164 पर कब्जा रेस्पो0 का बुर्जगान के जमाने से है। इस नम्बर के किसी [illegible] पर अपीलांट का कब्जा काश्त नही है। कब्जे के संबंध मे अपीलांट [illegible] किसी प्रकार का कोई दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य पेश नही की गई है। अपीलांट [illegible] रकबे को रेस्पो0 के ख0न0 1401/2164 मे जाना बताते है जिसका उनके द्वारा कोई प्रमाण पेश नही किया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:14:54 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि के अनुरूप होने से अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अपील पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि साबिक ख0न0 675 का रकबा 2 बीघा 2 के नवीन खसरा नम्बर 1401 कायम किया गया है। जबकि साबिक ख0न0 675 का रकबा 2 बीघा 15 विस्वा रहा है। पत्रावली मे उपलब्ध मिलान क्षैत्रफल के अनुसार साबिक ख0न0 675 का रकबा 2 बीघा 2 विस्वा हैं परन्तु कम किये गये रकबे 13 विस्वा को किसी ख0न0 मे मिलाया गया है यह स्थिति अपीलांट द्वारा स्पष्ट नही की गई है। अपीलांट का रकबा 0.08 है0 पर कब्जा हो इस प्रकार का कोई प्रमाण पत्रावली पर उपलब्ध नही है। भूमि ख0न0 1401/2164 रकबा 0.16 है0 की खातेदारी रेस्पो0 के नाम दर्ज है। अपीलांट का कथन रहा कि अपीलांट के रकबे मे से 0.08 है0 रकबे को रेस्पो0 के खेत ख0न0 1401/2164 मे मिला दिया गया है जिसका उनके द्वारा कोई प्रमाण पेश नही किया गया है। जिससे यह सिद्व हो सके कि पहले रेस्पो0 की खातेदारी मे भूमि कम थी तथा सेटलमेंट के दौरान रेस्पो0 की भूमि ज्यादा हो गई। खातेदारी के हक हकूक दावे मे तय किये जाने है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टया केस अभिलेख से सिद्व नही होने के कारण विधि के अनुरूप ही अपीलांट/प्राथीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया है। जिसमे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

अतःअपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के प्रकरण संख्या 68/20 मे पारित निर्णय दिनांक 24.6.24 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 16.1.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मीकांत बालोत)
राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:14:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner